



संख्या : 3444/जी0एस0(शिक्षा)/A3-55/2024

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 12 जून, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 230607023044, दिनांक 18.06.2024 एवं तत्कम में प्रेषित आख्या दिनांक 28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0कॉम0-आनर्स, बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, बी0एड0 एवं बी0बी0ए0-होटल एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव एवं प्रस्ताव सम्बन्धी निराकरण आख्या इस सचिवालय को प्रेषित की गई है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0कॉम0-आनर्स	60 सीट	2023-24
		बी0सी0ए0	120 सीट	
		बी0बी0ए0	120 सीट	
		बी0एड0	100 सीट	
		बी0बी0ए0 (होटल एडमिनिस्ट्रेशन)	60 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

- विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए संस्थान से प्राप्ति राशि यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 का प्रस्ताव प्राप्ति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में ही मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करें, प्राप्ति राशि अपूर्ण होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2025-26 की सम्बद्धता पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 12-06-2025 16:34:31

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3444(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-55/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 12-06-2025
16:50:13

आज्ञा से,
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।